पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 173/पी.बी.आर./2009 विरूद्ध आदेश दि. 15-01-2008 -पारित-अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग,ग्वालियर-प्रकरण कमांक 87/07-08 अपील

भागीरथ पुत्र प्यारेलाल रावत
ग्राम बड़गॉव रोड, बड़ौदी
तहसील व जिला शिवपुरी —आवेदक

विरूध्द

1- जितेन्द्र कुमार 2- नरेन्द्रकुमार
पुत्रगण रमेशचन्द अग्रवाल
जलमंदिर रोड शिवपुरी, तहसील व जिला शिवपुरी —अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी

अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़

आदेश

(आज दिनांक 3-4 - 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 87/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-1-2008 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 (आगे जिसे संहिता अंकित किया गया है) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार शिवपुरी के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम ...रोरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 236 रकबा 1.881 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया) पर उसका 15 वर्षो से खेती करके कब्जा चला आ रहा है इसलिये खसरा के कालम नंबर 12 में काविज कृषक के रूप में उसका नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 24/05-06-अ-6 अ पंजीबद्व

किया तथा हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 03.03.2007 पारित किया तथा वादिग्रस्त भूमि पर आवेदक का बलात कब्जा पाये जाने से आवेदन निरस्त कर दिया तथा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में कब्जा दिलाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 38 / 2006—07/अपील में पारित आदेश दिनांक 18.5.2007 से अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 3.3.2007 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के यहॉ अपील होने पर प्रकरण कमांक 87 / 2007—08/ अपील में पारित आदेश दिनांक 15—1—2008 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी का आदेश दिनांक 18.5.2007 निरस्त कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 3.3.07 स्थिर रखा गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों की बहस पर मनन करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक ने तहसील न्यायालय में संहिता की धारा— 115, 116 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर दावे के पद 2 व 3 में निम्नानुसार मांग की है —

(2) कृषि भूमि सर्वे नं. 236 रकबा 1.881 है. जिस पर आवेदक विगत 15 वर्षो से खेती करता हुआ चला आ रहा है।

(3) भूमि सर्वे नं. 236 रकबा 1.881 स्थित ग्राम मगरोरा प.ह.नं. 30 तहसील शिवपुरी, आवेदक ने 8 वर्ष पूर्व 1,60,000 / —रूपये में अनावेदकगण के पिता रमेश चन्द अग्रवाल से कय की थी किन्तु उक्त भूमि रमेशचंद अग्रवाल के नावालिग पुत्रगण अनावेदकगण के नाम होने से उसकी रजिस्ट्री, अनावेदकगण के वालिक कृषक होने के इंतजार में नहीं कराई, कि वर्ष 2001—02 में अनावेदकगण के पिता रमेशचंद की अचानक मृत्यु हो गयी व अनावेदकगण भी वालिग हो गये जिनके नाम उक्त भूमि भूमि वालिग कृषक के रूप में तब्दील हो गयी है किन्तु अनावेदकगण के यहां अब बद्यान्ति आ गयी है और वह आवेदक की उक्त कृषि भूमि , जिस पर आवेदक विगत 15 वर्षो से कृषि कर काविज है की रजिस्ट्री आवेदक को विकय पत्र संपादित नहीं करा रहे हैं।

ावेदक व्दारा संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत प्रस्तुत दावे में उपरोक्त वर्णित थ्यों से पाया गया कि आवेदक वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का कब्जा अंकित कराकर

विकय पत्र संपादित कराने का दवाव बनाने की कौशिश में रहा है , जबकि यदि आवेदक एंव अनावेदक के बीच इस प्रकार का कोई करार है तब आवेदक के हित में विकय पत्र का निष्पादन कराने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है। तहसील न्यायालय के प्रकरण में आये तथ्यों से यह प्रमाणित हुआ है कि वादग्रस्त भूमि अनावेदकगण के स्वामित्व की है और अनावेदक पक्ष मौके पर काविज होकर खेती—वाड़ी कर रहे हैं क्योंकि अनावेदक पक्ष ने वर्ष 1998 में मौखिक नौकरनामा के आधार पर एक वर्ष के लिये हरिवंश रावत से खेती कराई है और उसके वाद आदिल अफगानी से खेती कराई है किन्तु फरवरी 2006 में आवेदक भागीरथ द्वारा वादग्रस्त भूमि पर बलात कब्जा करना साक्षीगणों के कथनों से प्रमाणित हुआ है तथा कूटरचित दस्तावेज तैयार करके अनावेदकगण के स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि पर स्वयं के नाम से विद्युत कनेक्शन लेना तहसील न्यायालय में प्रमाणित हुआ है जिसके कारण तहसीलदार व्दारा आवेदक का संहिता 115, 116 का दावा प्रमाणित होना नहीं पाकर निरस्त किया है इसके विपरीत अनावेदकगण व्दारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत दावा प्रमाणित पाये जाने से आदेश दिनांक 3—3—07 से दावा मान्य करते हुये संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदक का बलात कब्जा हटाने के आदेश दिये हैं, किन्तु तहसील न्यायालय में आये उक्तानुसार तथ्यों के विपरीत अर्थ निकाल कर अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी ने आदेश दिनांक 18—5—2007 से तहसीलदार के विधिवत् पारित आदेश को निरस्त करने की त्रृटि की गई है।

4/ अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 15.01.2008 में निष्कर्षित किया है कि जब तहसील न्यायालय में दो प्रकरणों में तहसीलदार ने क्रमशः (संहिता की धारा 115,115 के अंतर्गत एक प्रकरण एंव संहिता की धारा 250 के दूसरे प्रकरण) में संयुक्त आदेश पारित किया है तब अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के समक्ष दोनों प्रकरणों की दो अपील होना चाहिये , किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय के दो प्रकरणों के विरूद्व प्रस्तुत एक

अपील में आदेश दिनांक 18—5—2007 से तहसील न्यायालय के दो प्रथक प्रथक प्रकरणों के आदेश दिनांक 3.3.07 को निरस्त करने की त्रृटि की गई है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 15.1.2008 में निकाला गया निष्कर्ष विधिवत् होकर हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 87 / 2007—08 अपील में पारित आदेश दिनांक 15—1—2008 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर